रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 29, 2017/भाद्र 7, 1939
No. 738] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 2017/BHADRA 7, 1939

lMd ifjogu vkj jktekxl e=ky;

vf/klpuk

नई दिल्ली, 29 अगस्त, 2017

lk-dk-fu- 1116(v).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए, निम्नलिखित प्रारूप नियम, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव करती है, को उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) द्वारा यथापेक्षित उनके द्वारा संभाव्य प्रभावित सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाषित किया जाता है और नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जब इस अधिसूचना की प्रतियाँ, भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, आम जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं से तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

2. केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत् ऐसे किन्ही आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा।

3. इन प्रारूप नियमों की बाबत, आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, संयुक्त सचिव (परिवहन), भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001 या ई–मेलः js-tpt@nic.in को भेजे जा सकेंगें।

ik:lk fu;e

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगें।

2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 47 में, उप–नियम (3) के पश्चात् उप–नियम (3), उप–नियम (4) के रूप में नामित किया जाएगा ।

3. नियम 47 में, उप–नियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उप–नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्;

''(5) नियम 125 डी में उल्लिखित सभी प्रकार के ट्रेलरों और सेमीट्रेलरों का पंजीकरण स्वतंत्र रूप से होगा।

परन्तु यदि वाहन मालिक या पंजीकरण कराने वाला पक्ष ट्रेलर और सेमीट्रेलर के एक वाहन के रूप में टोइंग माल वाहन के साथ संयुक्त रूप से पंजीकृत करने के लिए अनुरोध करता है तो पंजीकरण अधिकारी ऐसा करेगा।''

[फा. सं. आर.टी.11042/04/2015–एम.वी.एल.]

अभय दामले, संयुक्त सचिव

fVIi.k % मूल नियम सा.का.नि. 590(अ), तारीख 02 जून, 1989 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और सा.का.नि. (अ), तारीख द्वारा अंतिम संषोधन किया गया।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August, 2017

G.S.R. 1116(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sections 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

2. Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government;

3. The objections or suggestions, if any, to these draft rules be sent to the Joint Secretary to the Government of India (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi 110001 or at e-mail:js-tpt@nic.in, within the above specified period;

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.

(2) These rules shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 47, after sub rule (3), the following sub-rule (3) shall be renumbered as sub rule (4);

3. In rule 47, after sub rule (4), following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(5) All types of trailers and semitrailers mentioned in rule 125D, shall be registered independently.

Provided further that, if the owner or registering party, requests to register the trailer and semitrailer jointly with compatible towing vehicle as a single vehicle, the registering authority shall do so.".

[F. No. RT-11042/04/2015-MVL]

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published vide number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended vide number G.S.R. (E), dated .

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.08.30 19:54:08 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.